U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kij
v/;{krk % yfyr dekj xIrk] vkb-,-,l-

foHkkxh; vihy l[;k %&& 12@2018

vihykV	cuke	jLikMUV
मदन सिंह मीना, पटवारी बडगांव, तहसील शिवगंज,जिला सिरोही।		जिला कलक्टर (भू0अ0) सिरोही।

अपील अंतर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 विरुद्ध आदेश जिला कलेक्टर सिरोही दिनांक 23.2.2018 बाबत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।

mifLFkfr %

1.अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2.विभागीय पैरोकार अनुस्थित।

fu.k;

दिनांकः 16.10.2018

अपील प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अपीलांट मदन सिंह मीना, पटवार हल्का बडगांव, तहसील शिवगंज, के पद पर कार्यरत रहने के दौरान जिला कलक्टर, सिरोही के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

vkjki l- 1%&&

श्रीमान जिला कलेक्टर, सिरोही के शिवगंज के भ्रमण के समय नगरपालिका शिवगंज के परिधीय क्षैत्र मे स्थित ग्राम बंडगांव की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 149/5 व 149/4 मे बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के कोठारी पैलेस तथा कोठारी हॉस्पीटल के रूप मे अनाधिकृत निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका, स्थिति मे पाया गया, जिसके विरूद्ध आप द्वारा तत्समय उक्त भूमि पर बिना अनुमति निर्माण कार्य करने/कृषि भिन्न उपयोग करने पर नियमानुसार कोई कार्यवाही तहसीलदार शिवगंज के कार्यालय मे लम्बे समय तक पेश नही करने के कारण आपको कर्तव्य पालन मे लापरवाही व उदासीनता बरतते

हुए नियम विरूद्ध (अवैध) कार्य को प्रश्रय देकर उन्हें तत्काल रोक पाने मे विफल रहने तथा राजकोष को भारी राजस्व हानि पहुंचाने का प्रयास करने से आरोपित किया जाता है।

आरोपी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर विस्तृत विवरण सहित आरोप को अस्वीकार किया। इसके बावजूद जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा आरोपी के जवाब तथा संलग्न दस्तावेजों पर विवेचन किये बिना ही अपीलान्ट को दोषी मानते हुए दो वार्षिक वेतन वृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने उपस्थित अपीलान्ट की बहस सुनी। अपीलान्ट ने कथन किया है ग्राम बड़गांव में स्वयम की खातेदारी भुमि के खसरा नम्बर 149/4 व 149 /5 में बिना सक्षम अधिकारी (नगर पालिका ई.ओ. शिवगंज) की स्वीकृति से सार्वजनिक कोठारी अस्पताल व भवन निर्माण मेरे कार्य ग्रहण दिनांक 22.10.2016 के पहले हो चुका था जिसका साक्ष्य सबूत भू.अभिलेख वृत निरीक्षक शिवगंज की रिर्पोट के अनुसार व जो.वि.वि.लि. के सहायक अभियन्ता द्वारा विद्युत कनेक्शन दिनांक 20.09.2016 व ग्राम पंचायत बड़गांव की जारी एन.ओ.सी. दिनांक 01.09.2016 की सत्यापित प्रतिलिपी से स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्माण कार्य उसके कार्यग्रहण दिनांक 22.10.2016 के पूर्व ही पूर्ण हो चुका था । अतः इसके लिए उसे दौषी करार देना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्धा होगा ।

उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि नगर पालिका शिवगंज के पेराफेरी क्षेत्राधिकार में है। खसरा नम्बर 149/4 व 149 /5 मास्टर प्लान के अन्तर्गत है नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक /एफ/3/54/नविवि/3/2011 पार्ट /दिनांक 02.05.2016 के अनुसार कृषि भूमी का गैर कृषि उपयोग होने पर राजस्व (ग्रुप–6)विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना कमांक 4–9(126) रा.भू.राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा के अन्तर्गत तहसीलदार पर प्रदत शक्तियों एवं अधिरोपित कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में उपयोग करने हेतु इस अधिनियम की धारा 90क के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका ई.ओ. को दिनांक 02.05.2016 से 30.09.2017 परिपत्रों की समयावधि तक प्रयोग करने हेतु एतद द्वारा अधिकृत किया था। दिनांक 21.12.2017 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम –शिवगंज जिला–सिरोही में प्रस्तुत हुआ था जिसमें श्रीमान तहसीलदार शिवगंज ने अपने मौखिक बहस में ई.ओ. शिवगंज को इस प्रकरण के लिए शक्षम अधिकारी माना हैं ।

तहसीलदार के क्षेत्राधिकार की शक्तियों की रिर्पोट अन्तर्गत पटवारी द्वारा की जाती है। और जो शक्तिया ई.ओ. नगरपालिका शिवगंज को परिपत्रों के अन्तर्गत थी उनकी रिर्पोट उनके अधीन कर्मचारी ई.ओ. को करते है। परिपत्रों द्वारा तहसीलदार की शक्तिया स्थानीय

निकाय के ई.ओ. को स्थानान्तरण हो चूकी थी, तो इस प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही का अधिकार परिपत्रों की समयावधि दिनांक 02.05.2016 से 30.09.2017 तक ई.ओ. नगर पालिका शिवगंज के अधीन था।

इसलिए परिपत्रों की पालना में पटवारी बडगांव प्रकरण की कार्यवाही धारा 177 के लिए सक्षम नहीं था। भू.अभिलेख निरक्षक शिवगंज ने अपने लिखित बयानों में भी इस अवधि में अपने आपको इस प्रकरण में कार्यवाही हेतु सक्षम नहीं माना हैं । परिपत्रों की समयावधि समाप्त होते ही पटवारी द्वारा खातेदार के विरूध धारा 177 आर.टी.एक्ट.1955 के तहत प्रकरण तैयार कर दिनांक 10.10.2017 को तहसीलदार शिवगंज के समक्ष पेश कर दिया था। श्रीमान जिला कलेक्टर सिरोही के आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 24.011.2017 के पूर्व दिनांक 10.10.2017 को ही पेश किया जा चुका था।

राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में दर्ज प्रकरण पराफेरी मामले को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रिविजन नं. 814 /2018 /टी.ए. /सिरोही तेजराज बनाम स्टेड दिनांक 05.02.2018 को इस मामले को कानून विरूद्ध माना है, तो इस मामले में उसे दोषी मानना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरित होगा।

अपीलान्ट द्वारा इस प्रकरण की कार्यवाही कोई देरी जानबूझ कर नहीं की और न ही उच्चाधिकारीयों के न्याय संगत आदेशों की अवहेलना की है । अपीलान्ट ने अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से परिपत्रों में दियें गयें आदेशों की पालना करते की है।

यह है कि अपीलान्ट ने 22.10.2016 को कार्यग्रहण करने के पश्चात 1 वर्ष मे 9 प्रकरण धारा 177 के दर्ज कर राजकोष को होने वाली अपेक्षित हानि से बचाने की पूर्ण चेष्टा की है। जबकि अपीलान्ट के पूर्व के वर्षो के पटवारियों ने 1 भी प्रकरण धारा 177 मे दर्ज नही किया। तहसीलदार, शिवगंज ने अपनी मौका रिपार्ट दिनांक 27.9.2017 मे स्पष्ट अंकित किया है कि अस्पताल का निर्माण 1 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है अर्थात अपीलान्ट के कार्यग्रहण के पूर्व निर्माण पूर्ण हो चुका था। उक्त दो मंजिला भव्य निर्माण मे कई वर्ष लगे होगें, तो पूर्व राजस्व कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही क्यों नही की गयी तथा उनके विरूद्ध क्यों कार्यवाही नही की गयी, यह विचारणीय तथ्य है। आरोप विवरण पत्र दिनांक 12.12.18 मे भी उल्लेखित किया गया है कि निर्माण पूर्ण हो चुका है जबकि निर्णय मे इस आधार पर दण्डित किया है कि आरोपी द्वारा अतिक्रमण हटाने मे जानबूझ कर देरी की। अपीलान्ट उक्त अवधि मे कार्यरत ही नही था। इस प्रकार आरोपी पर आरोपित आरोप एवं जिस आधार पर दण्डित किया गया है, उसमे विरोधाभाष है। वर्तमान मे उक्त निर्माण को नियमित करने हेतु प्रार्थी से शास्ति प्राप्त कर, नगर पालिका द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

यह है कि अस्पताल का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात अपीलान्ट पर यह आरोप लगाना कि उन्होने अतिक्रमण के संबध कोई कार्यवाही नही की जो न्यायोचित नही है, क्योंकि निर्मित भवन को हटाने के लिए न तो पटवारी सक्षम है न ही उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त है। अपीलान्ट एक युवा कार्मिक है तथा शुरूआती सर्विस के दौर मे है। अपील स्वीकार नही होने की स्थिति मे अपीलकर्ता की सेवा पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों पर गहनता से विचार एवं मनन कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावे।

हमने अपीलान्ट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं जिला कलेक्टर, सिरोही से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलान्ट पर आरोप है कि नगर पालिका शिवगंज के परिधीय क्षेत्र मे स्थित ग्राम बंडगांव की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 149/5 व 149/4 मे बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के कोठारी पैलेस तथा कोठारी हॉस्पीटल के रूप मे अनाधिकृत निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुकी स्थिति मे पाया गया, तत्समय मे उसके द्वारा कोई नियमानुसार कार्यवाही तहसील कार्यालय मे पेश नही की। इस संबंध मे तहसीलदार, शिवगंज ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.9.2017 मे अंकित किया है कि निर्माण 1 वर्ष पूर्व हो चुका है। इस प्रकार आरोप मे अंकित तथ्यों एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त निर्माण कार्य अपीलान्ट के कार्यग्रहण करने से पूर्व पूर्ण हो चुका था, तो अपीलान्ट से पूर्व के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए थी। केवल मात्र अपीलान्ट को अतिक्रमण नही हटाने का दोषी मान कर दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकन के दण्ड से दण्डित किया जाना अनुपातिक दृष्टि से अधिक प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.2.2018 मे संशोधन कर दो दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के स्थान पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼yfyr dqekj xqIrk½
fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj